न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 165/2011/75 एलआर एक्ट

मुखत्यारसिंह पुत्र पंजाबसिंह जाति जटसिख निवासी बेरवाला कलां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व आदेश अपर जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ प्रकरण सं. 33/09 बअनवानी मुखत्यारसिंह बनाम सरकार आदेश दिनांक 01.08.2011

उपस्थित :–

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलांट

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः–31.05.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट ने न्यायालय अपर जिला कलैक्टर हनुमानगढ़ मे एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने चक 1 एसएलडब्ल्यू के प.न. 232/312 के कि.न. 3 व 6 कुल 2 बीघा भूमि जरिये ईकरारनामा दिनांक 07.07.1978 द्वारा मनीराम पुत्र पेमाराम से बिना विक्रय स्वीकृति प्राप्त किये खरीद की गई है। जिसमे से कि.न. 3 का विक्रय पत्र प्रार्थीगण के पक्ष मे पंजीकृत हो चुका है। इस अन्तरण को नियमन हेतु प्रार्थी द्वारा शमन फीस मय ब्याज जमा करवाई जा चुकी है। इस भूमि मे से कि.न. 3 का दिनांक 13.07.2009 को अतिरिक्त जिला कलैक्टर महोदय हनुमानगढ़ द्वारा

प्रार्थी के पक्ष मे नियमन किया जा चुका है। शेष कि.न. 6 का नियमन प्रार्थी का किया जावें। अपीलांट का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अपीलांट खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस मे कथन किया कि विचारण न्यायालय ने विधि की अनदेखी कर तथा पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो काबिले खारिज है। विवादित भूमि चक 3 एसएलडब्ल्यू हाल 1 बीआरडब्ल्यू के प.न. 232/312 कि.न. 3 व 6 पेमा पुत्र रामू कुम्हार को आवंटित हुई थी। पेमा पुत्र रामू पूर्व मे ही फौत हो चुका है इसके फौत होने के पश्चात उक्त 2 बीघा भूमि उसके पुत्र मनीराम को औद हुई थी। परन्तु मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही हो सकी। उक्त भूमि पर मनीराम का जन्म से अधिकार था जो भूमि अपीलांट को बैय कर दी। मनीराम पुत्र पेमाराम का इस भूमि मे जन्म से अधिकार होने के कारण अपीलांट को विक्रय करने का अधिकारी था जबकि विचारण न्यायालय ने अपीलांट को उक्त भूमि का नियमन न कर अहम कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 ने बहस मे अपील मे वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए कथन किया कि चक 1 एसएलडब्ल्यू के प.न. 232/312 का कि.न. 6 मनीराम पुत्र पेमाराम को आवंटित नही हुआ तथा यह भूमि राजस्व अभिलेख मे कभी मनीराम के नाम दर्ज नही रही। इसलिए इस भूमि को विक्रय करने का कोई अधिकार मनीराम को नही था। बिना अधिकारिता के दस्तावेज के आधार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर हुए अन्तरण का नियमन नही किया जा सकता। विचारण न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है। इसलिए अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन निर्णय मे उल्लेखित किया गया है कि ''वादग्रस्त भूमि कि.न. 6 का विक्रय का इकरारनामा मनीराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार द्वारा दिनांक 07.07.78 को मुखत्यारसिंह पुत्र पंजाबसिंह के पक्ष मे किया गया जबकि यह भूमि ना तो मनीराम पुत्र पेमाराम को आवंटन हुई है तथा ना ही यह भूमि राजस्व अभिलेख मे मनीराम पुत्र पेमाराम के नाम दर्ज है तथा ना ही पूर्व मे मनीराम पुत्र पेमाराम के नाम दर्ज थी जब भूमि ही मनीराम के नाम नही थी तो उसे विक्रय करने का इकरारनामा करने का भी कोई अधिकार नही था। बिना अधिकारिता वाले ईकरारनामा से प्रार्थी खरीददार को कोई हक प्राप्त नही होते। अतः प्रार्थी मुखत्यारसिंह द्वारा दिनांक 31.12.09 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।'' प्रकरण मे यह तथ्य साबित है कि चक 3 एसएलडब्ल्यू हाल 1 बीआरडब्ल्यू के प.न. 232/312 कि.न. 3 व 6 पेमा पुत्र रामू कुम्हार को आवंटित हुई थी। पेमा पुत्र रामू दिनांक 14.06.1958 को फौत हो चुका है, परन्तु मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज नही हो सकी। मनीराम पुत्र पेमाराम इस भूमि मे अपना हक व हिस्सा मानते हुए अपीलांट को उक्त भूमि जरिये ईकरारनामा विक्रय की जिसमे कि.न. 3 के अन्तरण का नियमन दिनांक 13.07.2009 को अतिरिक्त जला कलैक्टर हनुमानगढ़ द्वारा किया जा चुका है तथा शेष कि.न. 6 बाबत हुये अन्तरण का नियमन का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय द्वारा पेमाराम के फौत होने के उपरांत विरासतन नामान्तरण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दर्ज होने या ना होने के तथ्य की जांच हेतु वर्तमान जमाबंदी का अवलोकन करते हुए तथा पेमाराम के वारिसान की जांच करते हुए मनीराम के विरासतन हिस्सा की जांच कर दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया जाना आपेक्षित है।ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.08.2011 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई समुचित अवसर प्रदान कर पेमाराम के फौत होने के उपरांत वादग्रस्त भूमि के विरासतन नामान्तरण दर्ज होने या ना होने के तथ्य की जांच हेतु वर्तमान जमाबंदी का अवलोकन करते हुए तथा पेमाराम के वारिसान की जांच करते हुए मनीराम के विरासतन हिस्सा की जांच करने उपरांत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पुनः नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.06.2018 को उपस्थित हो। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official